

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल मूल क्षेत्राधिकार

रिट याचिका (सिविल) संख्या 406, 2013
1382 जेलों में अमानवीय हालात

हेडनोट्स

जेल सुधार - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति(यों) द्वारा की गई सिफारिशें - जेलों में भीड़भाड़ ; क्षमता वृद्धि ; जेलों में महिला कैदियों और बच्चों का कल्याण आदि - निर्णय -अतिरिक्त वार्डों के संबंध में एमिकस क्यूरी द्वारा की गई सिफारिशें ; अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वच्छता सुविधा, रसोई, स्टाफ आदि जैसे अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे का उन्नयन; ऐसे बुनियादी ढांचे में सुधार और उनका उन्नयन ; लंबित अनुमोदन - परियोजनाओं की मंजूरी या उपयुक्त भूमि की पहचान के लिए लंबित अनुमोदन, जिन्हें निर्देशानुसार अवधि के भीतर उनके तार्किक निष्कर्ष पर लाया जाना है - इसके अलावा, जेलों में सुविधाएं बनाने के लिए , सामान्य विनिर्देश/मापदंड गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल जेल मैनुअल , 2016 के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार हो सकते हैं।

आदेश

(I) संदर्भ

1. हमारे दिनांक 23 अप्रैल, 2024 के आदेश के अनुसरण में, विद्वान न्यायमित्र 1 श्री गौरव अग्रवाल ने बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा और केरल राज्यों से प्राप्त जानकारी 2 का विवरण सारांशित करते हुए एक नोट दायर किया है।
2. ए०सी० ने प्रस्तुत किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने भी एक रिपोर्ट दायर की है जो 300 से अधिक पृष्ठों की है; इसी तरह आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए भी स्थिति यही है - उनकी सभी रिपोर्ट/जवाब बहुत बड़े हैं। श्री अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है कि ये तीनों राज्य (सुप्रा) 23 अप्रैल, 2024 के आदेश के अनुसार अतिरिक्त हलफनामे दायर कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए।

3. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि और भी शपथ पत्र प्राप्त हुए हैं तेलंगाना, असम, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य के। उक्त हलफनामों का अध्ययन करने के बाद वह विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं

(II) राज्यवार तथ्यात्मक रिपोर्ट

(क) बिहार राज्य

4. आज जो चीज़ हमें आकर्षित करती है, ऐसी ने इस न्यायालय का ध्यान बिहार राज्य की ओर आकर्षित किया है, जहां जेलों में भीड़भाड़ की समस्या विशेष रूप से चिंताजनक है।

(क) जिला कारागारो (i) औरंगाबाद (ii) दरभंगा, (iii) गोपालगंज, (iv) खगड़िया, (v) लखीसराय, (vi) मधेपुरा, (vii) बिहारशरीफ, (viii) नवादा, (ix) सहरसा, (x) छपरा, (xi) सीतामढ़ी, (xii) सीवान, (xiii) सुपौल, (xiv) हाजीपुर; (ख) आदर्श केंद्रीय कारागार, बेउर, और (ग) केंद्रीय कारागार, पूर्णिया।

5. उक्त नोट में काम शुरू करने के लिए दी जा रही मंजूरी में कुछ हद तक ढिलाई का संकेत दिया गया है। कुछ जेलों में क्षमता वृद्धि का काम चालू वित्त वर्ष के अंत तक यानी मार्च 2025 तक या उससे पहले पूरा होने की संभावना है, जबकि अन्य जेलों में उपयुक्त भूमि की पहचान अभी भी की जा रही है।

6. यह न्यायालय बिहार राज्य के संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है, जो उन मुद्दों के समाधान के लिए उनकी गंभीरता को दर्शाते हैं जो प्रकृति में अत्यावश्यक हैं और जिन्हें लापरवाही से नहीं निपटाया जा सकता। उदाहरण के लिए, उपयुक्त केंद्रीय कारागार, गया में कैदियों के रहने की स्थिति में सुधार के संबंध में, यह पता चला है कि चालू वित्तीय वर्ष में जल निकासी सुविधा, अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण, रसोई के निर्माण की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंजूरी दी गई है, उसके बाद अगले दो वर्षों में निर्माण किया जाएगा।

7. उप-कारागार, शेरघाटी में 15 अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है तथा भवन भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

8. ए०सी० ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार, 13 केन्द्रीय/जिला कारागारों में, जहां तक महिला कैदियों का संबंध है, राज्य सरकार ने जिला कारागारों औरंगाबाद, आरा, कटिहार, लखीसराय तथा केन्द्रीय कारागार जो गया में स्थित है में उठाए गए विभिन्न कदमों का संकेत दिया है।

9. पुनः हम यह टिपण्णी करना चाहेंगे कि यद्यपि समिति द्वारा की गई कुछ अनुशंसाओं को स्वीकार/संसाधित किया गया है, राज्य सरकार अभी भी रसोईघर के निर्माण, पैरामीटर दीवार की ऊंचाई बढ़ाने के साथ-साथ स्वच्छ शौचालयों के निर्माण/रखरखाव, महिला कैदियों के लिए पृथक अस्पताल, महिला कारागार-वार्डों तथा बैरकों के विस्तार तथा नए कैदी कक्षों के निर्माण के लिए अनुमोदन देने की प्रक्रिया में है। हमें अनुमोदन में देरी का कोई वैध कारण नहीं मिला। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी परियोजना/विकास के लिए अनुमोदन प्रारंभिक बिंदु है, इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। नोट और रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न जेलों के लिए कार्यों की मंजूरी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में यानी अगले 10 महीनों में, मार्च, 2025 तक दिए जाने की उम्मीद है।

10. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, ए०सी०. ने निम्नलिखित निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना की है:

‘क) जिला कारागार औरंगाबाद, जिला कारागार लखीसराय और जिला कारागार नवादा तथा उपरोक्त 5 महिला कारागारों में अतिरिक्त वार्डों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति शीघ्र दी जाए ताकि निर्माण की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो सके। सरकार ने कहा है कि वित्तीय स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। सरकार 3 महीने के भीतर स्वीकृति देने पर विचार कर सकती है और उसके बाद आगे कदम उठा सकती है।

ख) यह महत्वपूर्ण है कि क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं कि आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे स्वच्छता सुविधा, रसोई, स्टाफ आदि जैसे अन्य को भी उन्नत किया जाए जिससे की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

ग) जिला कारागार दरभंगा, केन्द्रीय कारागार पूर्णिया, जिला कारागार सहरसा और जिला कारागार छपरा में निर्माण कार्य चल रहा है। राज्य सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि अधिकांश कार्य अगले वर्ष यानी 2025 तक पूर्ण हो जाएंगे। बिहार राज्य के मुख्य सचिव, 6 महीने के भीतर चल रहे निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त निर्माण में कोई देरी न हो।

ध) गोपालगंज, खगड़िया, बिहारशरीफ और कुछ अन्य जिलों में भूमि पहचान की प्रक्रिया चल रही है। मुख्य सचिव से विनम्र निवेदन है कि वे 4 महीने में मामले की समीक्षा करें। वे जिलाधिकारियों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि भूमि की पहचान जल्द से जल्द हो। इस संबंध में इस माननीय न्यायालय को प्रगति से अवगत कराया जाए।

ड) ऐसा प्रतीत होता है कि मधेपुरा में नई जेल के निर्माण के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। मधेपुरा में कैदियों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि स्वीकृत क्षमता 182 है और मौजूदा क्षमता 517 है, यानी स्वीकृत क्षमता से 2.5 गुना अधिक। अनुरोध है कि राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया जाए।

च) सुपौल में एक नई जेल प्रस्तावित है जिसके लिए भवन निर्माण विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है तथा स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार को स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया जाए ताकि निर्माण प्रक्रिया शुरू हो सके।’

11. ए०सी० ने अतिरिक्त मुद्दों पर भी प्रकाश डाला है:

‘... अधोहस्ताक्षरी ने रिपोर्ट के सारांश का अध्ययन किया है और सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि निम्नलिखित पर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है:-

क्रम संख्या	कारागार का नाम	समिति की रिपोर्ट
1	जिला कारागार बेगूसराय	<u>कारागार में माताओं के साथ बंद बच्चों के लिए सुविधाएं:-</u> कारागार में 10 क्षमता का महिला प्रकोष्ठ है, जिसमें वर्तमान में 37 महिला बंदी हैं, जिनके साथ एक बच्चा रह रहा है। महिला प्रकोष्ठ में अस्थायी शिशुगृह की सुविधा उपलब्ध है। जिला शिक्षा अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, बेगूसराय से अनुरोध किया गया है कि महिला

		बंदियों के साथ बंद 0-6 वर्ष तक के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए जेल के महिला प्रकोष्ठ में आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाए। जेल के अन्दर अतिरिक्त पुरुष प्रकोष्ठ के निर्माण के लिए <u>स्थान का अभाव</u> है। जैसे कैदियों की संख्या बढ़ती है, जन-अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है। कैदियों की सघनता को ध्यान में रखते हुए <u>जिले के अन्दर उप-कारागार के निर्माण</u> की आवश्यकता प्रतीत होती है। समिति ने सर्वसम्मति से जिले के अंदर मंझौल उप खंड और बखरी उप खंड के बीच एक उप- कारागार के निर्माण की सिफारिश करने का निर्णय लिया।
2	केंद्रीय कारागार भागलपुर/ महिला जिला कारागार भागलपुर	महिला कैदियों के लिए महिला मंडल कारागार, भागलपुर में 10 कमोड वाले <u>शौचालय सह स्नानघर</u> का निर्माण की <u>आवश्यकता</u> है। महिला मंडल कारागार, भागलपुर के वार्डों के अंदर मॉडल जेल मैनुअल, 2016 के अनुसार डबल वाशिंग कोठरी (शौचालय, मूत्रालय) बनाने की आवश्यकता है, जो जेल में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में महिला मंडल कारागार, भागलपुर में फ्लश शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। मॉडल जेल मैनुअल, 2016 के अनुसार पूर्व में निर्मित सभी शौचालयों को फ्लश शौचालय में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है तथा जेल में पूर्व में अक्रियाशील शौचालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में महिला मंडल कारागार, भागलपुर में प्रत्येक 10 कैदियों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन इसकी मरम्मत/नवीनीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान में महिला मंडल कारागार, भागलपुर में आधुनिक रसोई स्थापित नहीं है। परिणामस्वरूप, मॉडल जेल मैनुअल, 2016 के अनुसार, जेल की क्षमता के अनुरूप अतिरिक्त आधुनिक रसोई स्थापित किए जाने की उम्मीद है।
3	केंद्रीय कारागार, बक्सर	महिला कैदियों के कल्याण और जेलों में अपनी मां के साथ रहने वाले बच्चों की सुविधाओं के मुद्दे पर जेल अधीक्षक ने कहा कि महिलाओं के लिए <u>कैंटीन, क्रेच, शौचालय और स्नानघर तथा उन्नत रसोई का निर्माण आवश्यक है।</u>
4	जिला पटना	पटना में आदर्श केन्द्रीय कारागार बेउर, जिला कारागार फुलवारीशरीफ और 4 उप जेल हैं। हालांकि, उक्त जेलों की आवश्यकताओं के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है।
5	जिला कारागार रोहतास	बैठक के दौरान महिला कैदियों के लिए <u>एक महिला वार्ड की आवश्यकता है</u>, जेल अधीक्षक ने प्रस्तुत किया कि मौजूदा जेल की

	(सासाराम) [30 महिला कैदियों की क्षमता के विपरीत, कारागार में 82 महिला कैदी बंद हैं]	क्षमता बढ़ाने के लिए जगह उपलब्ध है।
6	जिला कारागार समस्तीपुर	महिला कैदियों के उपचार के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार एक स्त्री रोग विशेषज्ञ (इस प्रकार से) की सेवा की आवश्यकता होती है। इसलिए जेल अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वे सिविल सर्जन, समस्तीपुर को एक स्त्री रोग विशेषज्ञ (इस प्रकार से) की व्यवस्था के लिए मामले से अवगत कराएं। समिति द्वारा यह भी अनुशंसा की जाती है कि 4-6 वर्ष की आयु के किसी भी बच्चे को, जो अपनी मां के साथ रह रहा है, उसे उचित शिक्षा के लिए निकटतम स्कूल में नामांकित किया जाएगा।

.....!

12. उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि आदर्श केन्द्रीय कारागार, बेऊर, फुलवारीशरीफ एवं उक्त जेलों के 4 उप-कारागारों की आवश्यकताओं के संबंध में कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

13. फलस्वरूप, ए०सी० की अनुशंसा पर, बिहार राज्य को निर्देशित किया जाता है न केवल प्राथमिकता के आधार पर उपर्युक्त अनुशंसाओं को लागू करे, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी जेलों में प्रस्तावित कार्य तत्काल आधार पर किया जाए। इसके शीघ्र कार्यान्वयन/पूर्ण होने के लिए मील के पत्थर तय किए जाएं। राज्य विभिन्न कार्यों के लिए वर्तमान में अनुमानित समयसीमा को कम करने का भी प्रयास करेगा। अगली तिथि से पहले बिहार राज्य द्वारा अनुपालन का नया हलफनामा दाखिल किया जाएगा।

(ख) पंजाब राज्य

14. ए०सी० के नोट में जेलों में भीड़भाड़ पर प्रकाश डाला गया है और जेलों में बुनियादी ढांचे में सुधार और उनके उन्नयन के लिए कुछ समयसीमाएं बताई गई हैं। चार पांच-साल के चरणों का संकेत दिया गया है अर्थात् (क) 2024-2025 से 2028-2029, (ख) 2029-2030 से 2033-2034, (ग) 2034-2035 से 2038-2039, और (ड) 2039-2040 से 2043-2044। पहले चरण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 से 2028-2029 तक, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, कपूरथला, फरीदकोट के केंद्रीय कारागार; नाभा, संगरूर, रूपनगर, मानसा, बरनाला की जिला कारागारों और उप- कारागार, फाजिल्का की को शामिल किया गया है, जिसमें मरम्मत, सीवेज सिस्टम, नई बैरक, अस्पताल की कोठरियों की मरम्मत, बाथरूम, महिला बैरक का सृजन, क्रेच आदि के निर्माण सहित अन्य कार्यों का विवरण दिया गया है।

15. पंजाब राज्य के लिए, ए०सी० निम्नलिखित निर्देश चाहता है:

i) यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि मुख्य सचिव, पंजाब सरकार ने केवल उल्लेख किया है कि मात्र सारांश प्रस्तुत किया गया है। आशा है कि सरकार ने सिफारिशों पर निर्णय लिया है। यह आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में वास्तविक निर्णय लिए जाएं और कम से कम (इस प्रकार से) इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत किए जा सकने वाले कार्यों को 3 महीने के समय में अनुमोदित किया जाए। सरकार को यथासंभव अधिक से अधिक परियोजनाओं/कार्यों को मंजूरी देने का प्रयास करना चाहिए।

ii) अतिरिक्त क्षमता का निर्माण भी अन्य बुनियादी ढांचे जैसे शौचालयों के निर्माण, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि आदि के साथ मेल खाना चाहिए। इस पहलू की भी राज्य द्वारा जांच की जानी चाहिए।

iii) पिछली तारीख पर, इस माननीय न्यायालय ने पंजाब राज्य में कम से कम (इस प्रकार से) प्रमुख जेलों में नशा मुक्ति केंद्र की आवश्यकता के बारे में संकेत दिया था। केवल केंद्रीय कारागार फरीदकोट के लिए सिफारिश की गई है कि नशा मुक्ति केंद्र की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि पंजाब राज्य उन चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता की जांच करे जो कम से कम (इस प्रकार से) नशा मुक्ति केंद्र के प्रयोजनों के लिए सभी केंद्रीय कारागारों में आवश्यक हैं।

iv) महिला कैदियों के संबंध में: राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में उल्लेख किया है कि जेल विभाग जिला समिति द्वारा अनुशंसित अनुसार केंद्रीय जेल फिरोजपुर में सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग और निपटान मशीन स्थापित करेगा। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार जांच कर सकती है कि क्या ऐसी ही सुविधा की आवश्यकता है और क्या इसे अन्य केंद्रीय जेलों में भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

16. पंजाब राज्य को अपने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें और अगली सुनवाई की तारीख से पहले एक नया हलफनामा दायर करें।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य

17. महानिदेशक, कारागार के वक्तव्य के अनुसार नोट में बताया गया है कि राज्य की 33 जेलों की कुल क्षमता 14483 है, जबकि वर्तमान में 18343 कैदी बंद हैं। वक्तव्य में बताया गया है कि 78 कैदी बैरकों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे क्षमता बढ़कर 4450 हो जाएगी। 26 कार्य दिसंबर, 2024 तक, 40 कार्य जून 2025 तक तथा शेष कार्य दिसंबर, 2025 तक पूरे हो जाएंगे। बताया गया है कि अगले 10 वर्षों तक जेलों में भीड़भाड़ न हो, इसके लिए 19 अतिरिक्त कैदी बैरकों के निर्माण के लिए 22.8 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे क्षमता बढ़कर 1900 हो जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष के बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा तथा दिसंबर, 2026 तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

18. जेल में महिला कैदियों और बच्चों के कल्याण के संबंध में, नोट में कहा गया है कि राज्य का मानना है कि पहले से स्वीकृत बैरकों और आगामी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किए जाने वाले बैरकों के निर्माण कार्य पूरा होने से कैदियों की भीड़भाड़ की समस्या हल हो जाएगी। बताया गया है कि महिला कैदियों को मुफ्त सैनेटरी पैड उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उनके निपटान के लिए एक भस्मक मशीन भी लगाई गई है। बताया गया है कि महिला सेल में शौचालय और बाथरूम तथा बैरकों में रात्रि शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ताकि साफ-सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखा जा सके। राज्य का कहना है कि पर्याप्त पानी की सुविधा उपलब्ध है। जेल में निरुद्ध महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों के लिए, जेल नियमों के अनुसार पौष्टिक भोजन, कपड़े और

चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बच्चों को डॉक्टर की सलाह पर कपड़े, भोजन और दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। नवजात शिशु/शिशुओं के लिए बेबी किट कपड़े, साबुन, तेल, पाउडर, मच्छरदानी, रेक्सीन आदि दिए जा रहे हैं। जेलों में बच्चों के लिए शिशुगृह की व्यवस्था की गई है। छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, जिनका कोई अभिभावक नहीं है, उन्हें संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से बालगृह में रखा जाता है। यह बताया जाता है कि बालगृह बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए सुसज्जित है।

19. ए०सी० ने कहा है कि मौजूदा बैरकों में निर्माण से कुछ हद तक भीड़भाड़ कम होगी, लेकिन मुख्य सचिव के हलफनामे/जेल महानिदेशक, कारागार के नोट में 16 केंद्रीय और जिला कारागारों के संबंध में समिति की सिफारिशों का उल्लेख नहीं है। न्य. मी. ने बताया कि कई मामलों में प्रशासनिक स्वीकृति लंबित है, जैसे रायपुर जिले में 4000 कैदियों की क्षमता वाली विशेष कारागार का निर्माण, देवरी गांव में भूमि अधिग्रहण, बलरामपुर में नई जेलों के लिए स्वीकृति आदि।

20. ए०सी० निम्नलिखित निर्देश चाहता है:

‘क) सरकार 16 केंद्रीय/जिला जेलों के संबंध में विशिष्ट सिफारिशों की जांच कर सकती है जैसा कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता के नोट में बताया गया है और जांच कर सकती है कि क्या बैरकों के अतिरिक्त निर्माण से उस जेल में भीड़भाड़ कम होगी। भीड़भाड़ की समस्या को कारागार स्तर पर देखा जाना चाहिए न कि पूरे राज्य के लिए।

ख) अतिरिक्त क्षमता को शौचालय और स्टाफ की संख्या में वृद्धि जैसे अन्य बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस पहलू की भी राज्य द्वारा जांच की जानी चाहिए। ग) यह उल्लेख किया गया है कि इस वित्तीय वर्ष में 100-100 क्षमता वाले 19 अतिरिक्त जेल बैरकों को मंजूरी दी जाएगी। यह प्रार्थना की जाती है कि राज्य सरकार को 3 महीने की अवधि के भीतर उक्त प्रस्तावों को मंजूरी देने का निर्देश दिया जाए ताकि निर्माण शुरू हो सके।

घ) महिला कैदियों और बच्चों के संबंध में इस माननीय न्यायालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त रिपोर्ट नीचे हस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराई जाए ताकि समस्याओं को उजागर किया जा सके और सिफारिशों को इस माननीय न्यायालय के ध्यान में लाया जा सके।

21. उपरोक्त शर्तों पर छत्तीसगढ़ राज्य को निर्देश जारी किए जाते हैं और अगली सुनवाई की तारीख से पहले हलफनामे पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए।

(घ) राजस्थान राज्य

22. न्या. मी. द्वारा नोट में कहा गया है कि जेलों के निर्माण से संबंधित 30 कार्य चल रहे हैं, जिनमें जिला कारागार झुंजरपुर का निर्माण शामिल है, जिसके 31 अगस्त, 2024 तक पूरा होने की संभावना है, उप-कारागार किशनगढ़, जिला कारागार बाड़मेर, केंद्रीय कारागार श्रीगंगानगर, जिला कारागार नागौर, जिला कारागार चूरू, केंद्रीय कारागार कोटा और जिला कारागार झुंझुनू में जेल बैरकों का निर्माण शामिल है। इसी प्रकार, केंद्रीय कारागार कोटा और जिला कारागार बाड़मेर सहित विभिन्न कारागारों में खुली जेल क्वार्टरों का पुनर्निर्माण, अधिकांश कार्य या तो वर्तमान कैलेंडर वर्ष में या मार्च, 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

23. जहां तक इस न्यायालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट का संबंध है, मुख्य सचिव के शपथपत्र के पैरा 8 में इस प्रकार लिखा है:

“ माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों की जांच की गई और कारागारों के लिए निम्नलिखित भूमि आवंटित की गई है-

1. उप कारागार बाड़ी (धौलपुर)
2. उप कारागार हिंडौन सिटी
3. जिला कारागार भीलवाड़ा
4. उप कारागार फलौदी
5. उप कारागार छोटी सादड़ी
6. जिला कारागार राजसमंद
7. उप कारागार भीम
8. उप कारागार रामगंजमंड
9. उप कारागार नैनवा
10. उप कारागार भवानीमंडी’”

24. राज्य सरकार ने कहा है कि विभिन्न अनुरोध पर धनराशि की स्वीकृति और विस्तार के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान, आगामी महीनों में किए जाएंगे।

25. *वर्तमान में*, न्य. मी. संबंधित अधिकारियों को कोई सकारात्मक निर्देश नहीं दिलवाना चाहता है। हालांकि, ए०सी० का कहना है कि प्रगति पर चल रहे कार्यों और नए प्रस्तावों के विश्लेषण के लिए समयसीमा का पालन किया जाना चाहिए। राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त बातों पर ध्यान दे और तदनुसार आगे बढ़े।

(ड) झारखंड राज्य

26. 14 कारागारों (केंद्रीय/जिला) के लिए समिति द्वारा की गई विभिन्न अनुशंसाओं का उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में सरकार ने सभी कारागार अधीक्षकों को पत्र लिखकर झारखंड पुलिस आवास निगम लिमिटेड 3 से अनुशंसित कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। राज्य सरकार ने जहां भी नई जेलों की स्थापना की अनुशंसा की गई है, उसकी जानकारी मांगी है।

27. ए०सी०. ने निम्नलिखित निर्देश मांगे हैं:

‘i) देवगढ़ में नई जेल के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है जिसके लिए भूमि का एक हिस्सा भी अधिग्रहित किया गया है और भूमि का एक और हिस्सा चिन्हित किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देवगढ़ में नई जेल के निर्माण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और इस माननीय न्यायालय को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

ii) जहां तक अन्य जेलों का सवाल है, राज्य ने सभी जेलों अधीक्षकों को नए वार्डों के निर्माण और/या जीर्णोद्धार के लिए अनुमान प्राप्त करने का निर्देश दिया है। यह (इस प्रकार से) प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाए तो स्वीकार्य हो सकता है, ताकि प्रत्येक जेल में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जरूरत का पता लगाया जा सके और जो काम इस साल शुरू किए जा सकते हैं, उन्हें जल्द से जल्द शुरू किया जा सके।

iii) राज्य में महिला जेलों/वार्डों के अधीक्षक महिलाओं की स्वच्छता, सफाई और चिकित्सा जांच और बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाओं से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की भी जांच कर सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मुख्यालय को जल्द से जल्द सूचित कर सकते हैं।’

28. इस स्तर पर, न्यायालय यह संकेत देगा कि राज्य इस मामले में तत्काल सुधारात्मक उपाय करने में गंभीर नहीं है, क्योंकि इसने जेपीएचसीएल की सहायता से अनुशंसित कार्यों के लिए अनुमान तैयार करने/प्राप्त करने का काम जेल अधीक्षकों पर छोड़ दिया है। जेल अधीक्षक, पदानुक्रम में सबसे कनिष्ठ अधिकारी होने के नाते, उच्च/उच्चतम स्तर पर काम करवाने के लिए वास्तविक या प्रेरक रूप से बहुत कुछ कहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पहले संकेत दिया था कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव हलफनामे दाखिल करेंगे, ताकि सभी सिफारिशों की उच्चतम स्तर पर जांच की जा सके और परिणामस्वरूप, जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी, वह राज्य सरकार द्वारा की जा सके, जिससे किसी भी प्रक्रियागत देरी को समाप्त किया जा सके।

29. राज्य ए०सी०. द्वारा मांगे गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा, जो हमने ऊपर लिखा है उसे ध्यान में रखते हुए।

(च) ओडिशा राज्य

30. ए०सी०. के नोट से संकेत मिलता है कि मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामा एक पहलू पर स्पष्ट नहीं है - मुख्य सचिव ने 13 जिलों की समितियों की बैठकों के मिनट्स को अग्रेषित किया है, जबकि ओडिशा राज्य में 30 जिले हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि शेष जिलों (17) ने अपनी बैठकों की हैं या नहीं, और यदि हां, तो क्या रिपोर्ट/सिफारिशें की गई हैं। 8 जेलों में भीड़भाड़ की समस्या को दूर करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, 29 चयनित जेलों में अतिरिक्त वार्डों का निर्माण किया गया है, जिससे वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के दौरान कैदियों की कुल क्षमता 2240 बढ़ गई है। यह कहा गया है कि 23 जेलों में अतिरिक्त वार्ड भी निर्माणाधीन हैं, जिससे कैदियों की क्षमता 1625 बढ़ जाएगी।

31. पांच जिलों अर्थात् नबरंगपुर, कंधमाल फुलबनी, दोईगढ़, गजपति और सुंदरगढ़ के लिए, जिनके लिए संबंधित समिति द्वारा सिफारिशें की गई हैं, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि उन पर क्या कार्रवाई की गई है।

32. राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह क्षमता बढ़ाने के लिए हर संभव मुहिम चलाए और अगली तारीख से पहले एक नया हलफनामा दाखिल करे।

(छ) केरल राज्य

33. मुख्य सचिव द्वारा दिए गए हलफनामे में 13 जेलों 4 में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या बताई गई है। इसके लिए समिति द्वारा सिफारिशें भी की गई हैं। फिर भी, इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है कि राज्य सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है, यदि कोई है। इसलिए, ए०सी०. ने निम्नलिखित निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है:

“ क) केरल राज्य के कुछ जिलों में जेल अधीक्षक की रिपोर्ट की प्रतीक्षा में पहली बैठक स्थगित कर दी गई। इसलिए, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि ऐसे मामलों में दूसरी बैठक आयोजित की जाए और जेल की स्थितियों में सुधार के लिए सिफारिशें की जाएं।

ख) केरल राज्य को सभी जिलों में समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने और उन मामलों को प्राथमिकता देते हुए उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है जो अत्यावश्यक हैं और जिन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है और अगली सुनवाई की तारीख से पहले अनुपालन हलफनामा दायर किया जाये। “

34. राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह न्य. मी. की उपरोक्त प्रार्थनाओं के अनुसार कार्य करे और अगली तिथि से पहले अनुपालन हलफनामा दाखिल करे।

(III) आगे की राह

35. राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों और विभिन्न राज्यों द्वारा अपने-अपने विद्वान वकीलों के माध्यम से दिए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रशासन इस भयावह स्थिति के प्रति पूरी तरह से सचेत नहीं हैं। तात्कालिकता की भावना के अभाव में, हम एक निश्चित सुस्ती महसूस करते हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यों की ओर से पेश हुए विद्वान वकीलों से न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर, प्राप्त मानक प्रतिक्रिया यह है कि विवरण प्रस्तुत करने के लिए और समय दिया जाए। जाहिर है, विद्वान वकील बिना निर्देश के न्यायालय को संबोधित नहीं कर सकते।

36. सुनवाई के दौरान न्यायालय, न्य. मी. और विद्वान अधिवक्ता के बीच विस्तृत बातचीत हुई है। पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को कई पहलुओं और कारकों के बारे में स्पष्ट किया गया है। हम मानते हैं कि विद्वान अधिवक्ता इस पर ध्यान देते हुए अपने-अपने मुवक्किलों यानी संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों (जिसे आगे 'यूटी' कहा जाएगा) को तत्परता से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। *परिणामस्वरूप*, हम निर्देश देते हैं कि संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुष्टि किए गए अतिरिक्त हलफनामों के माध्यम से उचित जवाब दाखिल किए जाएं, निश्चित रूप से अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले, ए०सी०. को अग्रिम प्रतियां दी जाएं।

37. कुछ राज्यों को जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के अतिरिक्त, यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाता है कि लंबित अनुमोदन, चाहे वह परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए हो या उपयुक्त भूमि की पहचान के लिए, राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा आज से दस सप्ताह की अवधि के भीतर आगे बढ़कर तार्किक निष्कर्ष पर लाया जाना चाहिए।

38. कुछ विद्वान वकीलों ने अनुरोध किया है कि न्यायालय राज्यों/संघ क्षेत्रों के लिए कारागारों में सुविधाएं बनाने के लिए कुछ सामान्य/समान मापदंड निर्दिष्ट किये जाये। यह सुझाव योग्य है। सबसे पहले, जेलों के लिए विनिर्देश/मापदंड भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल जेल मैनुअल 2016 (जिसे आगे 'एमपीएम' कहा जाता है) द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार हो सकते हैं।

39. उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उनके नवीनतम जेल मैनुअल 5 के मापदंडों के अनुसार, प्रति कैदी औसत क्षेत्रफल एमपीएम में दिए गए क्षेत्रफल से अधिक है। यह तर्क दिया गया है कि यदि एमपीएम विनिर्देश लागू किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में जेलों की क्षमता केवल मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ ही काफी बढ़ जाएगी।

40. हम ध्यान दें कि शायद केवल एक बड़े परिसर क्षेत्र का अस्तित्व का मतलब नहीं है कि क्षमता में वृद्धि या संवर्द्धन हुआ है। यह देखने की आवश्यकता है कि प्रत्येक कैदी के लिए अपेक्षित सुविधाएँ सोने के क्षेत्र, जेल के भीतर गतिशीलता, रसोई/भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएँ, अन्य मामलों आदि के संदर्भ में पर्याप्त हैं या नहीं।

41. इस प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने प्रस्तावित हलफनामों में कैदी-क्षमता वृद्धि/बड़ी सहित सभी मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करना चाहिए। अन्य व्यवस्थाएं जैसे वार्डन/रसोइया/डॉक्टर/विभिन्न जेल कर्मचारियों आदि के पदों का सृजन भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

42. निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले, हम दोहरा सकते हैं कि कैदी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। सुनील बत्रा (II) बनाम दिल्ली प्रशासन,⁶ में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया था कि कैदी ऐसे व्यक्ति हैं जो हिरासत में रहते हुए भी मौलिक अधिकारों के हकदार हैं। राम मूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य,⁷ एक ऐसा मामला था जिसमें इस न्यायालय ने भारत की जेलों में व्याप्त कुछ समस्याओं की पहचान की थी, जिनमें से कुछ आज भी बनी हुई हैं। इन मामलों से पहले भी, कैदियों और विचाराधीन कैदियों के संबंध में इस न्यायालय का दृष्टिकोण महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रभाकर पांडुरंग संगजगिरी⁸ और मोहन पटनायक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य⁹ में उजागर किया गया था। ये केवल उदाहरण हैं, लेकिन जेलों में बंद लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुरक्षित करने के इस न्यायालय के इरादे को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं और इस रिट याचिका में पारित आदेशों/निर्णय में देखा गया था, जिसे **(2016) 3 एससीसी 700**,¹⁰ **(2016) 10 एससीसी 17**,¹¹ **(2017) 10 एससीसी 658**,¹² और **(2018) 18 एससीसी 777**¹³ के रूप में रिपोर्ट किया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि सभी हितधारक इस अवसर पर उठेंगे और यथासंभव शीघ्रता से उन पर लगाए गए दायित्व का निर्वहन करेंगे।

43. मामले को अगली बार 11 जुलाई, 2024 को बोर्ड के शीर्ष पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

.....J.

[हिमा कोहली]

.....J.

[एहसानुद्दीन अमानुल्लाह]

NEW DELHI
MAY 14, 2024.